

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

विमलेश कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

श्री विनोदानन्द झा,
उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

श्री यशस्पति मिश्र,
महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि0,
(वित्त विभाग का उपक्रम) पटना।

श्री अरविन्द कुमार झा,
सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

श्री विश्वनाथ चौधरी,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग, बिहार, पटना।

श्री दीपक सिंह,
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना (सम्बद्ध-ऊर्जा विभाग)।

श्री जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

श्री विनय कुमार पाण्डेय,
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना (सम्बद्ध-योजना एवं विकास विभाग)।

श्री विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

श्री भानु प्रकाश,
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना (सम्बद्ध-पथ निर्माण विभाग)।

श्री विनोदानन्द झा,
उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

श्री ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक, अनुश्रवण, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

श्री इम्तियाज अहमद करीमी,
निदेशक, उर्दू निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

श्री जवाहर प्रसाद,
संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

श्री सतीश कुमार शर्मा,
अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

श्री जित्त सिंह,

उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

श्री निशीथ वर्मा,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना (सम्बद्ध-सामान्य प्रशासन विभाग)।

श्री प्रभु राम,

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।

श्री राकेश मोहन,

निदेशक, पर्यटन, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री राजीव शंकर,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना (सम्बद्ध-उद्योग विभाग)।

श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना (सम्बद्ध-निगरानी विभाग)।

श्री सुरेश चौधरी,

अपर सचिव-सह-अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (मु0), सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।

मो0 अनवर हुसैन,

विशेष कार्य पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

श्री आमोद कुमार शरण,

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।

श्री नवल किशोर,

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0), पटना।

श्री योगेन्द्र राम,

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

श्री राम ईश्वर,

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

श्री पंकज कुमार,

संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

श्री रमेश कुमार झा,

संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

श्री गजेन्द्र कुमार मिश्र,

संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

श्री बिरेन्द्र कुमार पासवान,

संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

श्री प्रवीण कुमार,

संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

श्री सुबोध कुमार चौधरी,

संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

श्री अरुणाभ चन्द्र वर्मा,

उप सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

श्री कमलेश सिंह,

विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

श्री अजय कुमार,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
(सम्बद्ध-श्रम संसाधन विभाग एवं अन्य)

श्री तारानन्द महतो वियोगी,

उप सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना।

श्री सुधांशु कुमार सिंह,

उप सचिव, सहकारिता विभाग।

श्री सुजीत कुमार,

उप निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना।

श्री कुमार रामानुज,

निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

श्री आशुतोष कुमार वर्मा,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना।

श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,

संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

श्री उपेन्द्र प्रसाद,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
(सम्बद्ध-लघु जल संसाधन विभाग)।

श्री दयानन्द मिश्र,

संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना।

श्री प्रीतेश्वर प्रसाद,

महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना।

डॉ० जवाहर लाल सिन्हा,

संयुक्त सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

मो० नासिर हुसैन,

उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

श्री सुनील कुमार झा,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
(सम्बद्ध-समाज कल्याण विभाग)।

श्री मृत्युंजय कुमार,

सचिव, अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।

श्री अभय कुमार सिंह,

उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

श्री सुशील कुमार,

महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना।

श्री गौतम पासवान,

संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

श्री अनिल कुमार,

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

डॉ० राजीव कुमार,

अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

श्री अनिल चौधरी,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना (सम्बद्ध-कृषि विभाग)।

श्री अमरेन्द्र शाही,

विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना (सम्बद्ध-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)।

पटना-15, दिनांक- 16/05/2019

विषय:- लोक सभा आम चुनाव तथा आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव तथा उप चुनाव-2019 के लिए मतगणना प्रेक्षक के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में।
प्रसंग:- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/ओ0बी0एस0/2019/ओ0पी0एस0, दिनांक-15.05.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र द्वारा आपको लोक सभा आम चुनाव तथा आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव तथा उप चुनाव-2019 के लिए मतगणना प्रेक्षक नियुक्त करते हुए दिनांक-21.05.2019 के पूर्वाह्न तक आवंटित चुनाव क्षेत्र में पहुँचने का निदेश दिया गया है।

अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत संलग्न नियुक्ति पत्र में निहित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-12/वि0-5015/2017- 6598 /सा0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 16/05/2019

प्रतिलिपि :-श्री निखिल कुमार, निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/ओ0बी0एस0/2019/ओ0पी0एस0, दिनांक-15.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री सुधांशु कुमार, एस0सी0एस0, बी0एच0 1995 एवं श्री आशुतोष कुमार, एस0सी0एस0, बी0एच0 1992 का नाम क्रमशः श्री सुधांशु कुमार सिंह एवं श्री आशुतोष कुमार वर्मा है। तदनुसार नाम में संशोधन करते हुए उक्त दोनों पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से भी उक्त दो पदाधिकारी का नाम सुधार कर सूचित करने की कृपा की जाय।

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-12/वि0-5015/2017- 6598 /सा0प्र0,

पटना-15, दिनांक- 16/05/2019

प्रतिलिपि :-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-12/वि0-5015/2017- 6598 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 16/05/2019

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/परिवहन विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/श्रम संसाधन विभाग/कला संस्कृति एवं युवा विभाग/शिक्षा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग/अनु0 जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/जल संसाधन विभाग/पर्यटन विभाग/पंचायती राज विभाग/कृषि विभाग/सहकारिता विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उद्योग विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/राज्य निर्वाचन आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-12/वि0-5015/2017- 6598 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 16/05/2019

प्रतिलिपि :-श्री राजेन्द्र राम, अपर सचिव-सह-निर्वाचन कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-1, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NO.464/OBS/2019/OPS

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD ,NEW DELHI-110001

Date: 15-May-2019

To

Binodanand Jha
SCS,BH: 1990

Observer Code

S-23481

Subject: General Elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim and Bye Elections - 2019-Appointment of Observer for counting of votes-reg

Dear Sir/Madam,

In exercise of the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution of India and Section 20B of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, hereby, appoints you as its Observer for Counting of votes in ensuing General Elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim and Bye Elections, 2019 to be held on 23.05.2019.

2.You will be Observer in

Name of the State	Andhra Pradesh
No.& Name of Assembly Constituency With [District]	76-Avanigadda [Krishna] .
	You should reach the assigned constituency(ies) by 21/05/2019

3. This allocation is subject to change, if the situation so warrants. Under Section 13CC of the Representation of the People Act, 1950 and Section 28A of the Representation of the People Act,1951, you will be deemed to be on deputation to the Election Commission during the period you are deployed as Observer. You will be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission.

4. As Observer of the Commission, you are entitled for TA/DA as admissible on tour. You will draw TA/DA from your Ministry/Department/Office. The expenditure will be debitable to the Budget grant of your Ministry/ Department/Office. You are also entitled to travel by air by any scheduled commercial flight of any Airlines. However, whenever you travel by train, it shall be as per your entitled class.

5. Request of permission for temporary absence, leave etc. should be taken up by you with the Zonal Deputy Election Commissioner/Secretary concerned. In all such cases, unless a reply is received in that regard, the permission shall not be deemed to have accorded. All requests for exemption should be routed through your Sponsoring Authority. No exemption requests shall be deemed to have been accepted unless you receive communication in writing from Commission that your exemption requests have been accepted by the Commission.

6. You must reach the Assigned Constituency(ies) two days before the date of counting of votes i.e. 21.05.2019. You will stay in the Constituency(ies) till counting is over and result is declared by the RO. You will send a final report to the Commission and also intimate this to the Commission directly that you have completed your duty as Observer. Unless specifically required by the Commission to continue on duty as Observer, you shall stand automatically released from the duties of Observer after that date.

7. You are also directed that no appreciation letter of any kind will be issued by you to the Returning Officer or to any other election related official while you are working as Observer of the Election Commission of India or even later on in the same capacity. If the Observer is of the view that any election related official needs to be appreciated, he/she should send his/her proposal to Election Commission giving full reasons. The Observer will not issue any direction regarding transfer of officers etc. to the District Election Officer/Returning Officer or to any other election related official. In case any deviation in the conduct of officials is noted by the Observer, the same may be brought to the notice of the Commission immediately so that the Commission may take appropriate action on the matter

Kindly upload your photograph on Observer portal and print your ID card. You may also update your Bank Details in the Personal Information Sheet on Observer portal if not yet done. This information is required for transferring honorarium through NEFT i.e. Account Holder Name, Account No., Bank Name, Branch Name and IFSC Code.

Your user id and password for accessing the Observer portal is your Observer Code as Mentioned above. You should change your password on first login.

The link for Observer Portal is available on <http://eci.gov.in> or <http://Observerseci.nic.in>

Yours faithfully,



(NIKHIL KUMAR)